मूल हिंदी में

भारत सरकार
पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 3793
24.03.2025 को उत्तर के लिए

हरित सकल घरेलू उत्पाद

3793. श्रीमती रूपकुमारी चौधरी :

क्या **पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार द्वारा वर्तमान वन क्षेत्र को बनाए रखने तथा उसे और बढ़ाने के लिए किए जा रहे विशेष प्रयास का ब्यौरा क्या है;
(ख) हरित सकल घरेलू उत्पाद (हरित जीडीपी) पहल के अंतर्गत वन पारिस्थितिकी तंत्र सेवाओं के आर्थिक मूल्यांकन की वर्तमान स्थिति क्या है और इसे राज्य की आर्थिक योजनाओं में किस प्रकार शामिल किया जा रहा है;
(ग) पारिस्थितिकी-पुनर्स्थापन नीति के कार्यान्वयन की प्रगति और वनों एवं जैव विविधता संरक्षण को बढ़ावा देने में अब तक क्या लाभ प्राप्त हुए हैं; और
(घ) देवगुड़ी स्थलों के संरक्षण के लिए भविष्य की क्या योजनाएं हैं और इन स्थलों के संरक्षण से स्थानीय समुदाय किस प्रकार लाभान्वित हो रहे हैं?

उत्तर

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन राज्य मंत्री
(श्री कीर्तवर्धन सिंह)

(क) भारत सरकार ने राष्ट्रीय और राज्य स्तर पर पर्याप्त कानूनी और विनियामक तंत्र तैयार किए हैं जो देश के वनों की सुरक्षा, संरक्षण और प्रबंधन को विनियमित करते हैं, हालांकि वनों की सुरक्षा और प्रबंधन मुख्य रूप से राज्य सरकारों की जिम्मेदारी है। वनों के प्रबंधन और संरक्षण से संबंधित प्रमुख केंद्रीय स्तर की नीति और कानूनों में राष्ट्रीय वन नीति, 1988, भारतीय वन अधिनियम, 1927, वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972, वन (संरक्षण एवं संवर्धन) अधिनियम, 1980 और जैव विविधता अधिनियम, 2002 आदि शामिल हैं। हरित आवरण के अंतर्गत और अधिक क्षेत्रों को शामिल करने के लिए सरकार, राष्ट्रीय हरित भारत मिशन (जीआईएम), वन्य जीव पर्यावासों का एकीकृत विकास, प्रतिपूरक वनरोपण निधि प्रबंधन एवं आयोजना प्राधिकरण (काम्पा), नगर वन योजना (एनवीवाई) तथा तटीय पर्यावासों एवं मूर्त आय के लिए मैंग्रोव पहल (मिष्टी) जैसी विभिन्न स्कीमों को क्रियान्वित कर रही है। ये स्कीमें मुख्य रूप से वन क्षेत्रों के अंदर और बाहर वनीकरण, वन भूदृश्य पुनर्बहाली, पर्यावास सुधार, मृदा एवं जल संरक्षण उपायों और सुरक्षा आदि के माध्यम से पारिस्थितिक पुनर्बहाली में सहायता करती हैं। इनके अलावा, देश भर में वृक्षारोपण कार्यकलापों को शुरू करने के लिए दिनांक 5 जून 2024 को माननीय प्रधान मंत्रीजी द्वारा स्वैच्छिक वृक्षारोपण अभियान "एक पेड़ माँ के नाम" का शुभारंभ किया गया था।

(ख) पर्यावरणीय-आर्थिक लेखों को तैयार करने में सहायता के लिए सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय (एमओएसपीआई) द्वारा वर्ष 2011 में एक उच्च स्तरीय विशेषज्ञ समूह का गठन किया गया था, जिसका कार्य भारत के राष्ट्रीय हरित लेखों के लिए रूपरेखा विकसित करना तथा इस रूपरेखा के कार्यान्वयन के लिए रोडमैप तैयार करना था। विशेषज्ञ समूह ने पर्यावरण लेखों के संकलन के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर स्वीकृत रूपरेखा पर्यावरण-आर्थिक लेखांकन प्रणाली (एसईईए) में परिकल्पित लेखों के संकलन की सिफारिश की। इस विशेषज्ञ समूह की सिफारिशों के अनुसार, वर्ष 2018 से, एमओएसपीआई, पर्यावरण आर्थिक लेखांकन संबंधी अंतर-मंत्रालयी समूह-भारत से उचित परामर्श के बाद एसईईए रूपरेखा का पालन करते हुए विभिन्न पारि-प्रणालियों के लिए पर्यावरण लेखों को संकलित करता है। जहां तक वन पारिस्थितिकी तंत्र की जानकारी का संबंध है, इसके विस्तार, स्थिति और प्रदान की गई सेवाओं के बारे में, सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय द्वारा 'एनवीस्टेट्स इंडिया: एनवायरनमेंट एकाउंट्स' में प्रकाशित किया जाता है, "एनवीस्टेट्स इंडिया 2024: एनवायरनमेंट एकाउंट्स" के लगातार सातवें अंक का प्रकाशन दिनांक 30 सितंबर 2024 को किया गया है।

(ग) सरकार, संरक्षण के प्रति अपने समग्र दृष्टिकोण के भाग के रूप में वन आवरण बढ़ाने, उत्सर्जन कम करने, भू-अवक्रमण से निपटने, परि-प्रणालियों की पुनर्बहाली करने तथा जैव विविधता को समृद्ध बनाने के लिए अनेक कदम उठा रही है। इस संबंध में किए गए विशिष्ट उपायों में आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय (एमओएचयूए) के स्वच्छ भारत मिशन- शहरी (एसबीएम-यू), कायाकल्प और शहरी परिवर्तन के लिए अटल मिशन (एएमआरयूटी), स्मार्ट सिटीज मिशन (एससीएम), प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी (पीएमएवाई-यू) और मेट्रो रेल परियोजनाओं जैसी कई प्रमुख शहरी मिशनों/स्कीमों के अंतर्गत उपशमन और अनुकूलन कार्यनीतियों समाविष्ट करना शामिल है। आर्द्रभूमि के अधिकतम उपयोग किए जाने को प्रोत्साहित करने, जैव-विविधता और कार्बन स्टॉक को बढ़ाने तथा पारि-पर्यटन के अवसर सृजित करने और स्थानीय समुदायों के लिए आय सृजन हेतु अमृत धरोहर योजना की घोषणा की गई है। अवक्रमित मैंग्रोव क्षेत्रों की पुनः बहाली, तटरेखाओं की सुरक्षा और जलवायु उपशमन और अनुकूलन उपाय के रूप में राष्ट्रीय तटीय मिशन (एनसीएम) के माध्यम से तटीय पर्यावास एवं मूर्त हेतु मैंग्रोव पहल (मिष्टी) शुरू किया जा रहा है। उपर्युक्त के अलावा, सरकार ने जलवायु परिवर्तन संबंधी राष्ट्रीय कार्य योजना (एनएपीसीसी) को तैयार करने और इसके कार्यान्वयन के माध्यम से जैव विविधता और पर्यावरण संरक्षण के लिए कई पहल की हैं, जिनमें आठ मिशनों अर्थात राष्ट्रीय सौर मिशन, राष्ट्रीय संधारणीय आवास मिशन, राष्ट्रीय संवर्धित ऊर्जा दक्षता मिशन, राष्ट्रीय जल मिशन, राष्ट्रीय संधारणीय हिमालयी पारि-प्रणाली मिशन, हरित भारत मिशन, राष्ट्रीय संधारणीय कृषि मिशन और जलवायु परिवर्तन संबंधी राष्ट्रीय कार्यनीतिक ज्ञान मिशन की रूपरेखा दी गई है। इसके अलावा, जलीय पारि-प्रणालियों के संरक्षण के लिए राष्ट्रीय योजना (एनपीसीए); बायोस्फीयर रिजर्व; झूम खेती वाले क्षेत्रों में वाटरशेड विकास परियोजना; जल निकायों की मरम्मत, नवीनीकरण और पुनरुद्धार के लिए जल संसाधन कार्यक्रम; प्रतिपूरक वनरोपण निधि प्रबंधन और आयोजना प्राधिकरण (काम्पा)। इसके अलावा, उत्सर्जन को कम करने और पर्यावरण संरक्षण के लिए राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन, राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम (एनसीएपी), प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाभियान (पीएम-कुसुम), पीएम सूर्य घर: मुफ्त बिजली योजना जैसे कई कार्यक्रम भी लागू किए जा रहे हैं।

(घ) देवगुड़ी, आदिवासी समुदायों के जीवन में आस्था और रहन-सहन संबंधी परंपराओं के केंद्र के रूप में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। छत्तीसगढ़ राज्य सरकार ने वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए 187 देवगुड़ियों के निर्माण और इनके उन्नयन के लिए 420.00 लाख रुपये आवंटित किए हैं।

*****